

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY**

ORDERS

Delhi, the 12th August, 2009

No. F. 10(767)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6628.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 4th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. BOMBARDIER EROSPACE INDIA PRIVATE LIMITED, 14, LSc, 2nd floor, Pushp Vihar, Madangir, New Delhi-110062 shall pay consolidated stamp duty of Rs. 2400 (Rs. Two Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 24,00,000 for equity Share certificates with distinctive numbers 10,001 to 2,50,000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(789)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6631.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स रियल ग्लोबल ब्रोडकास्टिंग प्रा. लि., बी-314, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 61,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 15,39,90,001 से 21,49,90,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6,10,000 (रुपये छः लाख दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(789)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6631.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s.Real Global Broadcasting Private Limited, B-314, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,10,000 (Rs. Six Lac Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 61,00,00,000 for preference share certificates with distinctive Nos. 15,39,90,001 to 21,49,90,000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(715)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6638.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ब्ल्यू बर्ड होटल्स प्रा. लि., 106, बाबर रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 26,99,99,950 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 25,06,725 से 49,61,269 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,70,000 (रुपये दो लाख सत्तर हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(715)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6638.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s.Blue Bird Hotels Private Limited, 106, Babar Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,70,000 (Rs. two Lac Seventy Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 26,99,99,950 for Equity share certificates with distinctive Nos. 25,06,725 to 49,61,269 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(799)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6639.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24, जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स फ्लोमोर लि., प्लॉट नं. 14, ब्लॉक-II, मोहन को-ओपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,14,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,07,001 से 3,21,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 21,400 (रुपये इक्कीस हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(799)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6639.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s.Flowmore Limited, Plot No. 14, Block-II, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 21,400 (Rs. Twenty One thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,14,00,000 for Equity share certificates with distinctive Nos. 1,07,001 to 3,21,000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(771)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6644.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स इनोवेटिव क्लाड सोल्युशन्स प्रा. लि., एच-2 सुनेजा चेम्बर्स, अलकनंदा कमर्शियल कम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,35,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,52,10,001 से 2,25,60,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 73,500 (रुपये तिहत्तर हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(771)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6644.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s.Innovative Clad Solutions Private Limited, H-2, Suneja Chambers, Alaknanda Commercial Complex, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 73,500 (Rs. Seventy Three Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 7,35,00,000 for Equity share certificates with distinctive Nos. 1,52,10,001 to 2,25,60,000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(790)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6645.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स वेटनेक्स एनिमल हेल्थ लि., ए-3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110 020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 6,57,45,180 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,001 से 66,24,518 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 65,746 (रुपये पैंसठ हजार सात सौ छियालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(790)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6645.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vetnex Animal Health Limited, A-3, Okhla Industrial Aea, Phase-I, New Delhi-110 020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 65,746 (Rs. Sixty Five Thousand Seven Hundred Forty Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 6,57,45,180 for Equity share certificates with distinctive Nos. 50,001 to 66,24,518 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(784)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6646.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स कैरिफोर डब्ल्यूसी एण्ड सी इंडिया प्रा. लि., 13, अबुल फजल रोड, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली-110 001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 50,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,73,15,001 से 10,73,15,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5,00,000 (रुपये पांच लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(784)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6646.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Carrefour WC & C India Private Limited, 13, Abul Fazal Road, Bengali Market, New Delhi-110 020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,00,000 (Rs. Five Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 50,00,00,000 for Equity share certificates with distinctive Nos. 5,73,15,001 to 10,73,15,000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(797)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6650.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स आल्पस एनर्जी प्रा. लि., 64/1, एम.बी. रोड, नियर कम्युनिटी सेंटर, लाडो सराय, नई दिल्ली-110 030, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,85,700 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या पी 1200791 से पी 1259360 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 586 (रुपये पांच सौ छियासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(797)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6650.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Alps Energy Private Limited, 64/1, M. B. Road, Near Community Centre, Lado Sarai, New Delhi-110 030 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 586 (Rs. Five hundred eighty Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,85,700 for preference share certificates with distinctive Nos. P1200791 to P1259360 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(796)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6651.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स स्ट्रोमेग इंडिया प्रा. लि., सी-49, पहली मंजिल, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110 049, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 54,18,750 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 16,82,225 से 22,24,099 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5419 (रुपये पांच हजार चार सौ उन्नीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(796)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6651.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Stromag India Private Limited, C-49, Ist floor, Gulmohar Park, New Delhi-110 049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5419 (Rs. Five Thousand Four Hundred Nineteen) only on the aggregate value of shares of Rs. 54,18,750 for equity share certificates with distinctive Nos. 16,82,225 to 22,24,099 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(798)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/6652.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स सिलेक्टो सिस्टम्स प्रा. लि., 25, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 12,84,08,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 12,84,080 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,28,408 (रुपये एक लाख अट्ठाईस हजार चार सौ आठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(798)/COS(HQ)/Cons. /Duty/08/6652.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Selecto Systems Private Limited, 25, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,28,408/- (Rs. One Lac Twenty Eight Thousand Four Hundred Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 12,84,08,000/- for preference share certificates with distinctive Nos. 1 to 12,84,080/- to be issued by the said company.

फा. सं. 10(794)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/6653.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स डीई डायमंड इलेक्ट्रिक इंडिया प्रा. लि., सी-4/54, सफदरजंग डवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 25,91,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3,27,04,031 से 5,86,14,030 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,59,100 (रुपये दो लाख उनसठ हजार एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(794)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6653.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. DE Diamond Electric India Private Limited, C-4/54, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,59,100/- (Rs. Two Lac Fifty Nine Thousand One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 25,91,00,000/- for equity share certificates with distinctive Nos. 3,27,04,031 to 5,86,14,030/- to be issued by the said company.

2940 DG/09-2

फा. सं. 10(800)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/6654.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स एटीसी टावर कम्पनी ऑफ इंडिया प्रा. लि., एस-2 लेवल, अपर ग्राउंड फ्लोर, ब्लाक एफ, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 12,14,25,030 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 6,10,12,173 से 7,31,54,675 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,21,426 (रुपये एक लाख इक्कीस हजार चार सौ छब्बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(800)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6654.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ATC Tower Company of India Private Limited, S-2 level, Upper Ground Floor, Block F, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,21,426/- (Rs. One Lac Twenty One Thousand Four Hundred Twenty Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 12,14,25,030/- for equity share certificates with distinctive Nos. 6,10,12,173 to 7,31,54,675/- to be issued by the said company.

फा. सं. 10(778)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/6655.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स इन्टीग्रेटेड रबप्लस वैस्ट सोल्यूशन्स लि., सूट 276-278, होटल सम्राट, कोटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 38,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 70,001 से 4,50,000/- है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3800/- (रुपये तीन हजार आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(778)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6655.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Integrated Rubplas Waste Solutions Limited, Suite No. 276-278, Hotel Samrat, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3800/- (Rs. Three Thousand Eight Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 38,00,000/- for equity share certificates with distinctive Nos. 70,001 to 4,50,000/- to be issued by the said company.

फा. सं. 10(779)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6657.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रेसमीड इंडिया प्रा. लि., 102-105, अन्सल टावर, 38, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 14,84,99,995/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,50,001 से 44,92,857/- है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,48,500/- (रुपये एक लाख अड़तालीस हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(779)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6657.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Resmed India Private Limited, 102-105, Ansal Tower, 38, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1,48,500/- (Rs. One Lac Fourty Eight Thousnd Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 14,84,99,995/- for equity share certificates with distinctive Nos. 2,50,001 to 44,92,857/- to be issued by the said company.

फा. सं. 10(788)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6658.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बायसैल टेलीकम्युनिकेशन इंडिया प्रा. लि., सी-367, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,18,72,540 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,99,03,033 से 2,70,90,286 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 71,873 (रुपये इकहत्तर हजार आठ सौ तिहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(788)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6658.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E,) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bycell Telecommunications India Private Limited, C-367, Defence Colony, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs.71,873/- (Rs. Seventy One Thousand Eight Hundred Seventy Three) only on the aggregate value of shares of Rs. 7,18,72,540 /- for equity share certificates with distinctive Nos. 1,99,03,033 to 2,70,90,286/- to be issued by the said company.

फा. सं. 10(793)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6659.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री परपल हेल्थकेयर प्रा. लि., 183, सेक्टर-4, डीडीए फ्लैट, पॉकेट-1, द्वारका, नई दिल्ली-110075 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 60,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 6,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6000 (रुपये छः हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(793)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6659.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s.Purple Healthcare Private Limited, 183, Sector-4, DDA Flat, Pocket-1, Dwarka, New Delhi-110075 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.6000 (Rs. Six Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 60,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 6,00,000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(693)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6660.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बर्गरूएन एजुकेशन प्रा. लि., 207, एनडीएम-1, वी 3 एस माल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,41,68,240 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 72,30,001 से 83,34,206 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 44,169 (रुपये चवालीस हजार एक सौ उनहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(693)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6660.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s.Berggruen Education Private Limited, 207, NDM-1, V3S Mall, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs.44,169 (Rs. Forty Four Thousnd One Hundred Sixty Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,41,68,240 for equity share certificates with distinctive Nos. 72,30,001 to 83,34,206 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(782)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6661.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स एएम मील एक्विजम प्रा. लि., सी-148, ग्राउंड फ्लोर, ओखला फेस-1, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,17,40,390 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 11,84,039 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 11,741 (रुपये ग्यारह हजार सात सौ इकतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(782)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6661.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. AM Meal Exim Private Limited, C-148, GF, Okhla Phase-I, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 11,741 (Rs. Eleven Thousand Seven Hundred Forty One) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,17,40,390 for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 11,84,039 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(756)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6667.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स सोलर रिसर्च लि., 43-बी, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110 020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 73,75,00,000 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 73,75,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 7,37,500 (रुपये सात लाख सैंतीस हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(756)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6667.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Solar Research Limited, 43-B, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7,37,500 (Rs. Seven Lac Thirty Seven Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 73,75,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 73,75,000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(755)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6668.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स

कोबोल टेक्नोलोजिज प्रा. लि., एन-23-बी, ब्लाक-एन, डीडीए फ्लेट, साकेत, नई दिल्ली-110 017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,47,94,000 मूल्य के, फुलली कनवर्टीबल, डिवेन्चर जिनकी पृथक संख्या 8,71,689 से 8,96,482 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 61,985 (रुपये इकसठ हजार नौ सौ पिचासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(755)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6668.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cobol Technologies Private Limited, N-23-B, Block-N, DDA Flats, Saket, New Delhi-110 017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 61,985 (Rs. Sixty One Thousand Nine Hundred Eighty five) only on the aggregate value of debentures of Rs. 2,47,94,000 for issue of fully Convertible debentures bearing distinctive Nos. 8,71,689 to 8,96,482 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(775)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/6669.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24, जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 130,94,00,000 मूल्य के, टेक्सेबल रिडिमेबल, नॉन कनवर्टीबल, बोण्डस जो कि प्रोमिजरी नोट के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 201,00,01,285 से 201,00,01,838 व 46,00,001 से 46,01,254 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 13,09,400 (रुपये तेरह लाख नौ हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव

F. No. 10(775)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6669.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110 019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 13,09,400 (Rs. Thirteen Lac Nine thousand Four Hundred) only on the aggregate value of Rs. 130,94,00,000 for taxable redeemable non-convertible bonds in the nature of promissory note with distinctive Nos. 201,00,01,285 to 201,00,01,838 and distinctive No. 46,00,001 to 46,01,254 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy.